



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



शशि भूषण कुमार, भा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक –सह–
विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: SHSB/GA/FP/2091/2016/ 6091,,

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार (पटना एवं अरवल जिला छोड़कर)

पटना, दिनांक: 21/12/16

विषय: FMR Code: A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), FMR Code: A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं FMR Code A.3.2.3 (PPIUCD Services) से संबंधित वित्तीय दिशा–निर्देश में संशोधन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परिवार कल्याण ऑपरेशन (महिला बंध्याकरण/पुरुष नसबंदी) एवं प्रसवोपरान्त कॉपर-टी संरथापन के उपरान्त लाभार्थियों, सेवा प्रदाताओं एवं उत्प्रेरकों को क्रमशः क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के RoP मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) में राशि आवंटित है।

विदित हो कि 7 राज्यों के 145 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में ‘मिशन परिवार विकास’ 10 नवम्बर 2016 के प्रभाव से संचालित किया जाना है, जिसमें बिहार राज्य के पटना एवं अरबल जिलों को छोड़कर बाकी सभी 36 जिलों में ‘मिशन परिवार विकास’ संचालित करने हेतु निदेशित है। इस मिशन के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत उत्प्रेरक, सेवा प्रदाता एवं लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी की गई है।

तदनुसार मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) के दिशा–निर्देश में संशोधित करते हुये आवश्यक कार्यार्थ इस पत्र के साथ उसे संलग्न कर भेजा जा रहा है।

पटना एवं अरवल जिला को उक्त हेतु पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार ही राशि का व्यय किया जाना है।

अनुलग्नक— संशोधित दिशा–निर्देश।

विश्वासभाजन

20.12.2016
(शशि भूषण कुमार)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



शशि भूषण कुमार, भा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक –सह–
विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: SHSB/GA/FP/2091/2016/.....,

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार (पटना एवं अरवल जिला छोड़कर)

पटना, दिनांक:

विषय: FMR Code: A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), FMR Code: A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं FMR Code A.3.2.3 (PPIUCD Services) से संबंधित वित्तीय दिशा–निर्देश में संशोधन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परिवार कल्याण ऑपरेशन (महिला बंधाकरण / पुरुष नसंबंदी) एवं प्रसवोपरान्त कॉपर–टी संस्थापन के उपरान्त लाभार्थियों, सेवा प्रदाताओं एवं उत्प्रेरकों को क्रमशः क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के RoP मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) में राशि आवंटित है।

विदित हो कि 7 राज्यों के 145 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में “मिशन परिवार विकास” 10 नवम्बर 2016 के प्रभाव से संचालित किया जाना है, जिसमें बिहार राज्य के पटना एवं अरबल जिलों को छोड़कर बाकी सभी 36 जिलों में “मिशन परिवार विकास” संचालित करने हेतु निदेशित है। इस मिशन के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत उत्प्रेरक, सेवा प्रदाता एवं लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी की गई है।

तदनुसार मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) के दिशा–निर्देश में संशोधित करते हुये आवश्यक कार्यार्थ इस पत्र के साथ उसे संलग्न कर भेजा जा रहा है।

पटना एवं अरवल जिला को उक्त हेतु पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार ही राशि का व्यय किया जाना है।

अनुलग्नक— संशोधित दिशा–निर्देश।

विश्वासभाजन
₹0/-

(शशि भूषण कुमार)

प्रतिलिपि:

- सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार (पटना एवं अरवल जिला छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी ACMO/जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार (पटना एवं अरवल जिला छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार (पटना एवं अरवल जिला छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, रा०स्वा०समिति, बिहार को बटज शीट एवं वित्तीय दिशा–निर्देश की प्रति Upload करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक

6

